क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित आये। अधिवक्ता ने लवाजमात करवाना यदि अन्य कोई साक्ष्य पेश करना चाहते। वास्ते अंतिम बहस वादी हेतु पत्रावली दिनांक 19/5/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	19/5/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/5/25 को पेश हो।
	27/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वकील उभयपक्ष कारावाई बहस सुनी गयी वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 03/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	03/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी जा चुकी है। वकील पक्षगण का वादआलोच्य किया पत्रावली का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[illegible]

फर्द अहकाम

...यालय ______________________________

______________________________ बनाम ______________________________

...दमा संख्या / वर्ष : ______________________ /20 ____

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

ालत उप खण्ड अधिकारी, साँगानेर (द्वितीय) मुकाम साँगानेर जयपुर व इजलास अधिकारी का नाम-श्री हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
ना पत्र : 24/2020
य दिनांक : 03.06.2025

उनवान

ीलाल पुत्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।
ताराम पुत्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।
टीलाल पुत्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।
मजीवण पुत्र श्री भूरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।
बूलाल पुत्र श्री भूरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।

बनाम वादीगण

हनुमान पुत्र केसरा
/1 दिनेश शर्मा पुत्र हनुमान निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।
/2 महेश शर्मा पुत्र हनुमान निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
/3 सीमा देवी पुत्री स्व. हनुमान पत्नी पप्पू शर्मा निवासी ग्राम दौसरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
1/4 दुर्गादेवी पुत्री श्री स्व. हनुमान पत्नी श्रवण शर्मा निवासी ग्राम भाटावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1/5 प्रेमदेवी वेवा हनुमान जाति वागडा ब्राहमण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र केसरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. प्रकाश पुत्र केसरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. लादू पुत्र कल्याण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. रामकिशोर पुत्र वालूराम निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. रामस्वरूप पुत्र वालूराम निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. प्रभूनारायण पुत्र नारायण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. नानगराम पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. गंगाराम पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. श्रीमति हावूडी पुत्री श्री रामू पत्नी श्री मदन निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. श्रीमती चन्दा पुत्री श्री रामू पत्नी श्री हनुमान निवासी ग्राम डावला खुर्द तहसील फागी जिला जयपुर।
13. उपपजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
14. सरकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर तहसील सांगानेर जयपुर।
15. रामचन्द्र पुत्र पन्ना
15/1 नानगी देवी पत्नी रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15/2 शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15/3 रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15/4 भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15/5 रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15/6 लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...नारायण पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...ी देवी पत्नी रामकिशोर पुत्री रामचन्द्र निवासी तेजावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...रती देवी पत्नी कानाराम पुत्री रामचन्द्र निवासी चारणवाला तहसील सांगानेर जिला
...यपुर।
...ी पत्नी नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...न्द पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...ा पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...ाम पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...ा पुत्री नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...पुत्री नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी

...ा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर ... जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश ... हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाकें ग्राम अभयपुरा, तहसील सॉगानेर, ... जयपुर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर ... रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 574 ...ा 0.20 है0, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 577/1011 रकबा 0.02 ... व खसरा नम्बर 166 रकबा 01 बीघा के हाल खसरा नम्बर 570 रकबा 0.01 है0 व खसरा ...र 573 रकबा 0.24 है0 वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख ...तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.06.2025 को जारी की ...।

...र

दस्तखत ....

ओहदा ....

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर जयपुर द्वितीय)

...ुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉगानेर)

य उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

कारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

24/2020

: 03.06.2025

उनवान

त्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
त्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
पुत्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
पुत्र श्री भूरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
पुत्र श्री भूरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

पुत्र केसरा
ा शर्मा पुत्र हनुमान निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
शर्मा पुत्र हनुमान निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
देवी पुत्री स्व. हनुमान पत्नी पप्पू शर्मा निवासी ग्राम दौसरा तहसील माधोराजपुरा
ला जयपुर।
दिवी पुत्री श्री स्व. हनुमान पत्नी श्रवण शर्मा निवासी ग्राम भाटावाला, तहसील
गानेर जिला जयपुर।
देवी बेवा हनुमान जाति वागडा ब्राहमण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर
जला जयपुर।
ाम पुत्र केसरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
पुत्र केसरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
पुत्र कल्याण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
कशोर पुत्र बालूराम निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
वरूप पुत्र बालूराम निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
रायण पुत्र नारायण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
नारायण पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
गराम पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
राम पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
ति हाबूडी पुत्री श्री रामू पत्नी श्री मदन निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर
ला जयपुर।
ती चन्दा पुत्री श्री रामू पत्नी श्री हनुमान निवासी ग्राम डावला खुर्द तहसील फागी
ला जयपुर।
पजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
रकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर तहसील सांगानेर जयपुर।
मचन्द्र पुत्र पन्ना
1 नानगी देवी पत्नी रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2 शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3 रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रूपनारायण पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
/7 रूपनारायण पुत्र रामचन्द्र ... पुरी देवी पत्नी रामकिशोर पुत्री रामचन्द्र निवासी तेजावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
/8 नौसरी देवी पत्नी कानाराम पुत्री रामचन्द्र निवासी चारणवाला तहसील सांगानेर जिला
/9 जयपुर।
6. अनफूली पत्नी नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. गजानन्द पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. गोपाल पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. राधेश्याम पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
20. सुशीला पुत्री नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
21. राधा पुत्री नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाके ग्राम अभयपुरा, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर स्थित आराजी साविक खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 577/1011 रकबा 0.02 है0 व खसरा नम्बर 166 रकबा 01 बीघा के हाल खसरा नम्बर 570 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 573 रकबा 0.24 है0 वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद वशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.06.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

...ासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

...ना पत्र : 24 / 2020

...र्णय दिनांक : 03.06.2025

उनवान

...र्गालाल पुत्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...ीताराम पुत्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...ोटीलाल पुत्र काना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...ामजीवण पुत्र श्री भूरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...ाबूलाल पुत्र श्री भूरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

वनाम

1. हनुमान पुत्र केसरा
1/1 दिनेश शर्मा पुत्र हनुमान निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1/2 महेश शर्मा पुत्र हनुमान निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1/3 सीमा देवी पुत्री स्व. हनुमान पत्नी पप्पू शर्मा निवासी ग्राम दौसरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
1/4 दुर्गादेवी पुत्री श्री स्व. हनुमान पत्नी श्रवण शर्मा निवासी ग्राम भाटावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1/5 प्रेमदेवी बेवा हनुमान जाति वागडा ब्राहमण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र केसरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. प्रकाश पुत्र केसरा निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. लादू पुत्र कल्याण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. रामकिशोर पुत्र बालूराम निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. रामस्वरूप पुत्र बालूराम निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. प्रभूनारायण पुत्र नारायण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. नानगराम पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. गंगाराम पुत्र श्री रामू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. श्रीमति हावूडी पुत्री श्री रामू पत्नी श्री मदन निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. श्रीमती चन्दा पुत्री श्री रामू पत्नी श्री हनुमान निवासी ग्राम डाबला खुर्द तहसील फागी जिला जयपुर।
13. उपपजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
14. सरकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर तहसील सांगानेर जयपुर।
15. रामचन्द्र पुत्र पन्ना
15/1 नानगी देवी पत्नी रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15/2 शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15/3 रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

4 भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5 रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6 लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7 रूपनारायण पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8 भूरी देवी पत्नी रामकिशोर पुत्री रामचन्द्र निवासी तेजावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9 नोरती देवी पत्नी कानाराम पुत्री रामचन्द्र निवासी चारणवाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
मनफूली पत्नी नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
गजानन्द पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3 गोपाल पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. राधेश्याम पुत्र नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
0. सुशीला पुत्री नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1. राधा पुत्री नानू निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वाकें ग्राम अभयपुरा, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हक पूर्वाधिकारी रोडू पुत्र लाला हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या 4 व 5 के हकपूर्वाधिकारी नाथू पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 तथा प्रारूपिक प्रतिवादी 15 के पिता पन्ना पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4 तथा शेष हिस्सा 1/4 के प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 16 लगातय 21 के हक पूर्वाधिकारी गोविन्दा पुत्र माल्या खातेदार काश्तकार थे। वाद–पत्र में वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रारूपिक प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी अपनें–अपनें हिस्सेनुसार काबिज होकर अपने जीवनकाल में निरन्तर काश्त करते रहें उनकी मृत्यु पश्चात् वादीगण एवं प्रारूपिक प्रतिवादीगण अपने–अपनें हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगातय 3 के पिता केसरा पुत्र सुखदेव व तथा प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कल्याण पुत्र जगन्नाथ ने सरपंच ग्राम पंचायत कपूरावाला से मिली भगत कर वाद–पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 01 बीधा का अपने नाम गैरकानूनी रूप से नामान्तरणकरण तस्दीक करवा लिया उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्दाज नामान्तरणकरण के आधार पर अवैध अंकन दर्ज चला आ रहा हैं उक्त नामान्तरणकरण क्षेत्राधिकार विहिन कानूनन प्रभावशुन्य दस्तावेज हैं। तथा उसके बाद की पश्चातवर्ति इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के भी कानूनन प्रभावशुन्य हैं। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन महज विरासत, बेचान, व सक्षम अधिकारी द्वारा पारित डिक्री के आधार पर ही कियें जा सकते हैं विवादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 01 बीघा का गैर कानूनी व बिना क्षेत्राधिकार के सरपंच ग्राम पंचायत कपूरावाला ने अपने क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग कर रेकार्डेड खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉगानेर)

की खातेदारी भूमि दीगर के नाम दर्ज कर दी जिसके आधार पर हाल राजस्व रिकार्ड वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रारम्भ से अवैध व प्रभावशुन्य हैं। दौरानें भू-प्रबंध वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 577/1011 रकबा 0.02 है0 व खसरा नम्बर 166 रकबा 01 बीघा के हाल खसरा नम्बर 570 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 573 रकबा 0.24 है0 है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम होने की जानकारी पूर्व में नहीं सर्वप्रथम वादीगण की अन्य खातेदारी की भूमि बाबत वाद पेश होनें पर वादीगण ने अपनें कब्जे काश्त व खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रिकार्ड निकलवाया तब जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 व 8 लगायत 12 के पिता के नाम दर्ज हैं। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि वादीगण के नाम दुरूस्त करवानें बाबत कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गयें तथा वादग्रस्त भूमि का गलत राजस्व अंकन के आधार पर बेचान, हस्तांतरण करने की धमकी दी। वादीगण कानूनन अधिकरी हैं कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 हैक्टीयर, 575 रकबा 0.24 हैक्टीयर, 577/1011 रकबा 0.02 हैक्टीयर, 570 रकबा 0.01 हैक्टीयर, 573 रकबा 0.24 हैक्टीयर कुल किला 5 कुल रकबा 0.71 हैक्टीयर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 8 लगायत 12 के पिता के नाम दर्ज भूमि वादी संख्या 1 लगायत 3 अपने नाम हिस्सा 1/4 तथा वादी संख्या 4 व 5 अपने नाम हिस्सा 1/4 दर्ज करवानें तथा शेष हिस्सा 1/4 प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 15 व हिस्सा 14 प्रारूपिक प्रतिदादी संख्या 16 लगायत 21 के नाम दर्ज करवायें। वाद कारण अन्य वाद में भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर तथा प्रतिवादीगण दिनांक 04.09.2011 को वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण करने की धमकी देने व वादग्रस्त भूमि दुरुस्त करवाने से इन्कार करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम अभयपुरा, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 हैक्टीयर, 575 रकबा 0.24 हैक्टीयर, 577/1011 रकबा 0.02 हैक्टीयर, 570 रकबा 0.01 हैक्टीयर, 573 रकबा 0.24 हैक्टीयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.71 हैक्टीयर को प्रतिवादीगण । लगायत 12 के स्थान परे वादी संख्या । लगायत 3 हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 4 व 5 को हिस्सा 1/4 व प्रारूपिक प्रतिवादी 15 को हिस्सा 1/4 तथा प्रारूपिक प्रतिवादीगण 16 लगायत 21 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकर्ा घोषित किया जावें । इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती इन्द्राज के आदेश तहसीलदार सॉगानेर को पारित किया जावें। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की फरमाई जावें कि वाके ग्राम अभयपुरा, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 हैक्टीयर, 575 रकबा 0.24 हैक्टीयर, 577/1011 रकबा 0.02 हैक्टीयर, 570 रकबा 0.01 हैक्टीयर, 573 रकबा 0.24 हैक्टीयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.71 हैक्टीयर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व बेजामजाहमत न स्वयं करें न अन्य से करावें तथा वादीगण की फसल को किसी भी प्रकार से नुकसान न स्वयं करें न अन्य से करावें तथा वादीगण को उक्त भूमि में निर्वाद व निरन्तर व वर्तमान कब्जे काश्त से बेदखली की नाकाम कोशिश न स्वयं करें न अन्य से करावें एवं वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग में दखलन्दाजी न स्वयं करें न अन्य से करानें बाबत सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टरर्ड नोटिस जारी किये गये। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6, 8 लगायत 10 की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉगानेर)

ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 21 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 व 11 बावजूद डॉक रजिस्टर्ड तामील सूचना उपस्थित नही। दिनांक 14.08. 2012 को प्रतिवादी संख्या 7 व 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 12 बावजूद डॉक रजिस्टर्ड तामील सूचना उपस्थित नही। दिनाक 12.04.2016 को प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 13 उपस्थित नही। दिनांक 21.05. 2012 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 10 की ओर से जवाब पेश हुआ। शा.मि.किया गया। दिनांक 05.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 21 की ओर से जवाब दावा मय काउॅन्टर क्लेम पेश किया। शा.मि.किया गया। पत्रावली तनकीयात हेतु नियत की गई। दोनो पक्षो के अभिवचनों के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम अभयपुरा के आराजी खसरा नम्बर 574, 575, 577/1011, 570, 573, कुल किता 5 कुल रकबा 0.71 है0 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के स्थान पर वादी वादी संख्या 1 लगायत 3 हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 4 व 5 को हिस्सा 1/4 व प्रारंभिक प्रतिवादी 15 को हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

वादीगण

2. आया वादीगण सम्पति बाबत् प्रतिवादीण्गा के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कराने का अधिकारी है।

वादीगण

3. आया वादीगण का विवादित कृषि भूमि पर 50 वर्ष से ज्यादा समय से कब्जा नही है। खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादीगण

4. आया हकपूर्वाधिकारीयो व वादीगण ने नामा0 संख्या 04 के विरूद्ध कोई अपील पेश नही की इसलिए भी वादीगण का वाद चलने योग्त नही है।

प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण के विवादित कृषि भूमि का कब्जा प्राप्ती बाबत् वाद पेश नही किया है इसलिए भी वादीगण का यह वाद चलने योग्य नही है।

प्रतिवादीगण

6. अनुतोष

तनकीयात किये जाने के पश्चात प्रकरण को साक्ष्यवादी में नियत किया गया । वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र की पी बाबूलाल पुत्र श्री भूरा का पेश किया। जिरह की गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। प्रकरण में वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई

बहस वादीगण अधिवक्ता सूनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र, मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व तनकीवार विवेचन किया जाना उचित समझते है।

1. **तनकीसंख्या 1** – इस तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में जमाबन्दी प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

संख्या 4 प्रदर्श 3 व भू प्रबन्ध खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श–4 पेश किये है। वादीगण का इस सम्बंध में तर्क रहा है कि अपने वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि को नाथू वल्द रूपा, गोविन्द वल्द माल्या, रोडू वल्द लाला व पन्ना वल्द जगन्नाथ ने जरिये नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 13.04.1961 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता केसरा वल्द सुखदेवा व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कल्याण वल्द जगन्नाथ को राजी खुशी दे दी थी। व कब्जा सम्भलवा दिया था जिसके आधार पर विवादित कृषि भूमि खतेदारी संवत 2017 से ही प्रतिवादीगण के हकपूर्वधिकारी केसरा वल्द सुखदेवा व कल्याण वल्द जगन्नाथ के नाम दर्ज चली आ रही है। इस समय से ही प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी विवादित कृषि भूमि पर अपने जीवनकाल तक बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहें हैं उनकी मृत्यू के पश्चात प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर बहैसियत खतेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण व प्रारंभिक प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी अपने जीवनकाल तक किसी भी रूप में काबिज काश्त नही है। वादीगण का विवादित कृषि भूमि 50 वर्षो से ज्यादा समय से कब्जा नही है ना ही वादीगण ने उक्त भूमि का लगान अदा किया है। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण के नामा0 संख्या 4 के विरूद्ध कोई अपील नही की गई। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 , 8 लगायत 10 के पक्ष में तय की जाती है।

2. **तनकी संख्या 2**– इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण का है तनकी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 10 के पक्ष में सावित होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 10 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।
3. **तनकी संख्या 3** – इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण का है वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि को नाथू वल्द रूपा, गोविन्द वल्द माल्या, रोडू वल्द लाला व पन्ना वल्द जगन्नाथ ने जरिये नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 13.04.1961 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता केसरा वल्द सुखदेवा व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कल्याण वल्द जगन्नाथ को राजी खूशी दे दी थी। व कब्जा सम्भलवा दिया था जिसके आधार पर विवादित कृषि भूमि खतेदारी संवत 2017 से ही प्रतिवादीगण के हकपूर्वधिकारी केसरा वल्द सुखदेवा व कल्याण वल्द जगन्नाथ के नाम दर्ज चली आ रही है। इस समय से ही प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी विवादित कृषि भूमि पर अपने जीवनकाल तक बहैसियत खातेदार काविज काश्त रहें हैं उनकी मृत्यू के पश्चात प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर बहैसियत खतेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण व प्रारंभिक प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी अपने जीवनकाल तक किसी भी रूप में काविज काश्त नही है। वादीगण का विवादित कृषि भूमि 50 वर्षो से ज्यादा समय से कब्जा नही है ना ही वादीगण ने उक्त भूमि का लगान अदा किया है। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण के नामा0 संख्या 4 के विरूद्ध कोई अपील नही की गई। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 10 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।
4. **तनकी संख्या 4** – इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण का इस सम्बंध में कथन रहा है कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण के नामा0 संख्या 4 के विरूद्ध कोई अपील नही की गई। वादीगण ने अपील सम्बंधित ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण के नामा0 संख्या 4 के विरूद्ध कोई अपील

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सौंगानेर)

नही की गई है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 10 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 5– इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण का इस सम्बंध में कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि को नाथू वल्द रूपा, गोविन्द वल्द माल्या, रोडू वल्द लाला व पन्ना वल्द जगन्नाथ ने जरिये नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 13.04.1961 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता केसरा वल्द सुखदेवा व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कल्याण वल्द जगन्नाथ को राजी खुशी दे दी थी। व कब्जा सम्भलवा दिया था जिसके आधार पर विवादित कृषि भूमि खतेदारी संवत 2017 से ही प्रतिवादीगण के हकपूर्वधिकारी केसरा वल्द सुखदेवा व कल्याण वल्द जगन्नाथ के नाम दर्ज चली आ रही है। इस समय से ही प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी विवादित कृषि भूमि पर अपने जीवनकाल तक बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहें हैं उनकी मृत्यू के पश्चात प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर बहैसियत खतेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण व प्रारंभिक प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी अपने जीवनकाल तक किसी भी रूप में काबिज काश्त नही है। वादीगण का विवादित कृषि भूमि 50 वर्षो से ज्यादा समय से कब्जा नही है ना ही वादीगण ने उक्त भूमि का लगान अदा किया है। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण के नामा0 संख्या 4 के विरूद्ध कोई अपील नही की गई। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 , 8 लगायत 10 के पक्ष में तय की जाती है।

6. **अनुतोष** – तनकी संख्या 1 लगायत 2 वादीगण अपने पक्ष में सावित करने में असफल रहा है तथा तनकी संख्या 3 से 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय हुई है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि वाकें ग्राम अभयपुरा, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर स्थित आराजी साविक खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 577 / 1011 रकबा 0.02 है0 व खसरा नम्बर 166 रकबा 01 बीघा के हाल खसरा नम्बर 570 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 573 रकबा 0.24 है0 वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय के मुताविक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर